

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय, सागर

क्रमांक- /सी.जे.एम./ 2026

सागर, दिनांक- 31.08.2026

रिमाण्ड ड्यूटी आदेश

मैं, श्रीमती नेहा बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर म0प्र0, माह सितम्बर-2026 के अवकाश दिवसों में जिला मुख्यालय सागर एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी नियत करती हूँ। अवकाश के दिन में कॉलम क्रमांक-2 में वर्णित मजिस्ट्रेट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नियत स्थानों में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

जिला मुख्यालय-सागर		
क्रं.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक (माह सितम्बर-2026)
1.	श्री अमित सिंह धुर्वे	06
2.	श्री रोहित शर्मा	---
3.	सुश्री शिखा चतुर्वेदी	---
4.	सुश्री वीणा अग्निहोत्री	---
5.	श्री हिमांशु पालीवाल	04, 05
6.	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	13, 14
7.	श्रीमती खुशबू दांगी	20
8.	श्रीमती हितेषी भदौरिया	27
तहसील मुख्यालय- बीना		
1.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी	20
2.	श्री शरद जोशी	04, 05 ,06
3.	श्री मृदुल जैन	13, 14, 27
4.	श्रीमती सलोनी जैन	---
तहसील मुख्यालय- खुरई		
1.	श्रीमती चेतना दीक्षित	06, 27
2.	सुश्री प्रथा श्रीवास्तव	13, 14
3.	श्री प्रतीक सिंह तोमर	04, 05
4.	श्रीमती प्राची समाधिया	20

तहसील मुख्यालय- बण्डा		
1.	श्री आशीष कुमार माथौरिया	5, 6, 20, 27
2.	श्रीमती कंचन देव शिवहरे	4, 13, 14
3.	श्रीमती संध्या मुदगल	-----
तहसील मुख्यालय-रहली		
1.	श्री नितिन वर्मा	4, 5, 6
2	श्री शुभम गुप्ता	13, 14, 20, 27
तहसील मुख्यालय-गढ़ाकोटा		
1.	श्री अम्बर श्रीवास्तव	संपूर्ण अवकाश दिवसों में।
तहसील मुख्यालय-देवरी		
1.	सुश्री निकिता चौहान	13, 14, 20
2.	श्री दीपू शाक्य	04, 05, 06, 27
तहसील मुख्यालय-कैसली		
1.	श्री कुलदीप नामदेव	संपूर्ण अवकाश दिवसों में।
तहसील मुख्यालय-शाहगढ़		
1.	श्री मानवेन्द्र सिंह	संपूर्ण अवकाश दिवसों में।
तहसील मुख्यालय-मालथौन		
1.	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार	20
2.	सुश्री गौरी सक्सेना	13, 14, 27
3.	श्री ध्रुव अग्रवाल	04, 05, 06

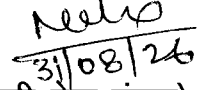
1. यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
2. रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमांड के समय धारा 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।

3. रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश आवेदन में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु सहमति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति बावत आवेदन में लेख करेंगे तथा सहमत मजिस्ट्रेट की अनापत्ति भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करेंगे। **अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन उस मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी उक्त विशेष अवकाश घोषित होने के ठीक पूर्व के अवकाश की थी।**
4. यदि किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं होते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक के सामान्य आदेश के नोट क्रमांक-1 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड कार्य भी सम्पादित किया जावे।
5. समस्त मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जित अवकाश/मेडीकल अवकाश/सी.सी.एल./अन्य लम्बी अवधि के अवकाश हेतु आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया जाता है, और उक्त अवकाश स्वीकृति की सूचना के पूर्व यदि रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में उस मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है और रिमाण्ड ड्यूटी लगने के बाद उक्त मजिस्ट्रेट का अवकाश स्वीकृत हो जाता है तो उस अवकाश हेतु आवेदन पेश करने वाले मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह इस कार्यालय को अवकाश स्वीकृति की सूचना तत्काल प्रेषित करें, जिससे कि उनके स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु आदेशित किया जा सके।
6. **रिमाण्ड मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के साथ-साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी में भी सहयोग करेंगे।**
7. समस्त मजिस्ट्रेट को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे बिना अनुमति के किसी भी स्थिति में मुख्यालय न छोड़ें।

नोट:-

1. **श्री अम्बर श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गढ़ाकोटा** के अवकाश अवधि के दौरान **रहली** में रिमाण्ड ड्यूटी के दिन नियत/उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **रहली के साथ-साथ गढ़ाकोटा** की भी रिमाण्ड ड्यूटी एवं अति आवश्यक कार्य भी संपादित करेंगे तथा इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. **श्री मानवेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाहगढ़** के अवकाश अवधि के दौरान **बण्डा** में रिमाण्ड ड्यूटी के दिन नियत/उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **बण्डा के साथ-साथ शाहगढ़** की भी रिमाण्ड ड्यूटी एवं अति आवश्यक कार्य भी संपादित करेंगे तथा इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री कुलदीप नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केसली के अवकाश अवधि के दौरान देवरी में रिमांड ड्यूटी के दिन नियत/उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी के साथ-साथ केसली की भी रिमांड ड्यूटी एवं अति आवश्यक कार्य भी संपादित करेंगे तथा इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

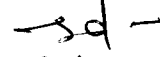

31/08/26

(श्रीमती नेहा बंसल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर
3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट सागर।
4. समस्त मजिस्ट्रेट जिला सागर
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सागर/खुरई/बीना/बण्डा/गढ़ाकोटा/रहली/देवरीकेसली/मालथौन/शाहगढ़
6. जूनियर एनॉलिस्ट, सर्वर रूम, सागर को समस्त मजिस्ट्रेटों को आवश्यक रूप से ई-मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु।



(श्रीमती नेहा बंसल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर